विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम-गुरूवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-21 का उत्तर।

....

	प्रश्न	**उत्तर**
21 (क)	क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि सेवानिवृत्त उपनिरीक्षकों के इलाज में व्यय चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को स्वीकृत किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 जो कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग-6 को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हां।
(ख)	यदि हाँ, तो क्या उक्त दावों को स्वीकृत करा दिया गया है और विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी है उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करायेंगे?	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में रूपये 10.00 लाख से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी दावों पर परामर्श प्राप्त किये जाने हेतु पत्रावलियां प्रशासकीय विभागों द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सन्दर्भित की जाती हैं। इस प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रूपये 10.00 लाख से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में मात्र परामर्शी विभाग है। प्रश्नगत दावे का उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011, यथासंशोधित, 2014 एवं 2016 तथा चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-1519/पांच-6-2012-266(जी0)/ 2011, दिनांक 11.12.2012 के अन्तर्गत परीक्षण कर परामर्शोपरान्त पत्रावली प्रशासकीय विभाग को वापस कर दी गयी है।
(ग)	क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।

ब्रजेश पाठक

उप मुख्यमंत्री